संख्या: 1645/62-2-99-2/2(34)/98

प्रेषक,

अजय कुमार जोशी
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1. मुख्य अभियंता
लघु सिंचाई विभाग
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

2. समस्त मण्डलायुक्त
उत्तर प्रदेश ।

लघु सिंचाई एवं ग्रा० अभि० सेवा अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 8 जुलाई, 1999

विषय:- लघु सिंचाई विभाग द्वारा राज्य सेक्टर के अन्तर्गत संचालित निजी क्षेत्र में गहरे नलकूपों के निर्माण की विशेष सहायता योजना तथा जिला सेक्टर के अन्तर्गत गहरे नलकूपों के निर्माण की योजना के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों को कार्यदायी संस्थाओं को आवंटन एवं प्राइवेट रिग मशीनों को लगाया जाना ।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 1999-2000 में राज्य सेक्टर की गहरे नलकूप निर्माण की विशेष सहायता योजना के अन्तर्गत 500 नलकूपों का लक्ष्य निर्धारित है तथा जिला सेक्टर की गहरे नलकूपों के निर्माण की योजना हेतु रु० 6.99 करोड़ का परिव्यय प्राविधानित है जिससे लगभग 700 नलकूप निर्मित होंगे । इस प्रकार उपरोक्त दोनो योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 99-2000 में लगभग 1200 नलकूप निर्मित किये जाने है जबकि लघु सिंचाई विभाग में उपलब्ध रिग मशीनो की क्षमता मात्र 340 नलकूपो के निर्माण की है । ऐसी स्थिति में लक्ष्यों की पूर्ति हेतु गत वर्ष की भांति अन्य कार्यदायी संस्थाओं तथा प्राइवेट रिग मशीनों का उपयोग किया जाना होगा । इस सम्बन्ध में शासन के संज्ञान में यह आया है कि क्षेत्र में उपलब्ध शासकीय विभागों/निगमों की रिग मशीनों की उपलब्धता देखे बिना विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा प्राइवेट रिग मशीनों से नलकूपो का निर्माण कार्य कराया जाता है जिसके कारण शासकीय विभागों/निगमों की सृजित क्षमता का सदुपयोग नहीं हो पाता है । शासन के संज्ञान में यह भी आया है कि प्राइवेट रिग मशीन को सम्बद्ध करने से पूर्व शासकीय विभागों/निगमों की रिग मशीनों की उपलब्धता का आंकलन करने की कोई सुदृढ़ एवं संगठित व्यवस्था नहीं है ।

2. अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये जाते है:-

2/--

(1) प्रत्येक मण्डल के मण्डलायुक्त अपने अधीन जनपदों में लघु सिंचाई विभाग तथा अन्य शासकीय विभागों/निगमों की उपलब्ध होगी रिग मशीनों का आंकलन अपने स्तर से करेंगे तथा लघु सिंचाई विभाग को रिग मशीनों के सापेक्ष्य लक्ष्यो का आवंटन करने के उपरान्त अवशेष लक्ष्यो का आवंटन अन्य शासकीय विभागों/निगमों जैसे सिंचाई विभाग के नलकूप विभाग, निर्माण खण्ड, भूगर्भ जल विभाग उ0प्र0, जल निगम उ0प्र0, नलकूप निगम उ0प्र0 इत्यादि की कार्य योग्य रिग मशीनो की क्षमता के सापेक्ष्य उक्त कार्यदायी संस्थाओं को लक्ष्य आवंटित करेंगे। लघु सिंचाई विभाग के संबन्धित अधीक्षण अभियंता उपरोक्त हेतु सम्पूर्ण सहयोग प्रदान करने हेतु उत्तरदायी होंगे। उपरोक्त के उपरान्त भी यदि लघु सिंचाई एवं शासकीय विभागों/निगमों की रिग मशीनों से निर्धारित लक्ष्यो की पूर्ति नहीं होती है तो प्राइवेट रिग मशीनों को लक्ष्य आवंटित किये जाने की अनुमति मण्डलायुक्त द्वारा प्रदत्त की जायेगी।

(2) लघु सिंचाई विभाग के संबन्धित अधिशासी अभियंताओं द्वारा मण्डलायुक्त की बगैर पूर्व अनुमति के उपरोक्त दोनो योजनाओं के अन्तर्गत छिद्रण कार्य हेतु प्राइवेट रिग मशीनो को नहीं लगाया जायेगा।

(3) यदि कोई कार्यदायी संस्था को लक्ष्य आवंटित किये जाने के उपरान्त वह संस्था ठीक से कार्य नहीं करती है तो इसके सम्बन्ध में संबन्धित अधीक्षण अभियंता (ल0सिं0) तत्काल संबन्धित मण्डलायुक्त को अवगत कराते हुये कार्यदायी संस्था का आवंटित लक्ष्य निरस्त करायेंगे और मण्डलायुक्त की अनुमति से अन्य शासकीय विभागों/कार्यदायी संस्था/प्राइवेट रिग मशीनों को लक्ष्य आवंटित किये जाने की अनुमति प्राप्त करेंगे ताकि लक्ष्यो की पूर्ति में बाधा न आये।

(4) कार्यदायी संस्था/प्राइवेट रिग मशीनों से नलकूप का छिद्रण कार्य कराये जाने की प्रक्रिया उपरोक्त योजनाओं के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दी गई व्यवस्था के अनुसार ही अपनाई जायेगी।

भवदीय

(अजय कुमार जोशी)
सचिव।

संख्या : 1545(1)/62-2-99-2/2(39)/98, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
2. प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 राज्य सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
3. प्रबन्ध निदेशक, नलकूप निगम उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
4. प्रमुख अभियंता नलकूप, सिंचाई विभाग उ0प्र0, लखनऊ ।
5. निदेशक, भूगर्भ जल विभाग उ0प्र0, लखनऊ ।
6. समस्त अधीक्षण अभियंता (ल0सिं0) उत्तर प्रदेश ।
7. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अपर जिलाधिकारी (विकास)/परियोजना, उत्तर प्रदेश ।
8. प्रमुख सचिव, नियोजन उ0प्र0 शासन ।
9. प्रबन्ध निदेशक, जल निगम उ0प्र0, लखनऊ ।
10. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन ।
11. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन ।
12. समस्त अधिशासी अभियंता (ल0सिं0) उत्तर प्रदेश ।
13. गार्ड फाइल, लघु सिंचाई एवं ग्रा0अ0भि0 सेवा अनुभाग-2

आज्ञा से

(आर0 के0 दुबे)
विशेष सचिव ।